(भाग 1)

(प्रस्तुतकर्त्ता अथवा प्रार्थी द्वारा रखा जाने वाला)

320612

क्रम-संख्या ——————

लेख्य या प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक ——————

प्रस्तुतकर्त्ता या प्रार्थी का नाम [illegible]

लेख्य का प्रकार ——————

प्रतिफल की धनराशि ——————

1---रजिस्ट्रीकरण शुल्क ——————

2---प्रतिलिपिकरण शुल्क 382078/=

3---निरीक्षण या तलाश शुल्क ——————

4---मुख्तारनामा के अधिप्रमाणीकरण के लिए शुल्क ——————

5---कमीशन शुल्क 1540

6---विविध ——————

7---यात्रिक भत्ता ——————

1 से 6 तक का योग ——————

शुल्क वसूल करने का दिनांक ——————

दिनांक, जब लेख्य प्रतिलिपि या तलाश प्रमाण-पत्र वापस करने के लिये तैयार होगा ——————

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर ——————

पी0 एस0 यू0 पी0---04 निबन्धन---7-6-2004---

निबन्धन प्रपत्र सं0 13---24,000 पुस्तकें (जाब)।

कोषागार प्रपत्र–209 (1)

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5, भाग–2

प्रपत्र संख्या–43 ए (1)

(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिए)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

उपकोषागार/बैंक का नाम व शाखा: S. B. I. Govt. Business Branch

1. जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम: प्रभारी अधिकारी सम्पत्ती नो० वि० प्राधिकरण, द्वारा Supreme Real Estate Dev. Pvt. Ltd.
2. पता: Thakur House, Ashok Nagar Kandivali (E) MUMBAI- 400 10[illegible]
3. पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम व वाद संख्या (यदि आवश्यक हो)
4. जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है।): Non Judicial Stamp
5. चालान की सकल राशि: 1,09,38,600/-
6. चलान की निबल राशि
7. लेखाशीर्षक का पूर्ण विवरण/लेखाशीर्षक की मुहर: 0030-स्टाम्प और पंजीकरण 02-स्टाम्प गैर न्यायिक 102-स्टाम्पों की बिक्री
8. लेखा-शीर्षक का 13 डिजिट कोड

मुख्य लेखा-शीर्षक	उप मुख्य-शीर्षक	लघु-शीर्षक	उप-शीर्षक	ब्यौरेवार-शीर्षक	धनराशि (अंकों में)
0 0 3 0	0 2	1 0 2	0 0	0 0	1,09,38,600/
					योग 1,09,38,600/

धनराशि (शब्दों में) One crore nine lacs thirty eight thousand six hundred only.

For Supreme Real Estate Developers Pvt. Ltd.

[signature] Director

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

चालान में लेखाशीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

केवल उपकोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ

चलान संख्या : .... अंकों में रु०

दिनांक : .... शब्दों में रु०

21 JUN 2005

प्राप्त किया

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर उपकोषागार/बैंक की मुहर सहित

विवरण : रोकड़ (विवरण सहित) (धनराशि रुपयों में)

नोट/सिक्के

1000 x	
500 x	
100 x	
50 x	
20 x	
10 x	
5 x	
2 x	
1 x	
चेक (पूर्ण विवरण के साथ)	
योग :–	

टिप्पणी :–

1. जिन विभागों में अधिक संख्या में चालानों द्वारा धनराशि जमा होती है (जैसे व्यापार कर, स्टाम्प एवं पंजीकरण, शिक्षा, लोक सेवा आयोग आदि) उन्हें बजट साहित्य के खण्ड–4 अथवा लोक लेखा खण्ड–2 के अनुसार लेखा शीर्षक मुद्रित कराना उचित होगा। अन्य प्रकरणों में बजट साहित्य के खण्ड–2 (लोक लेखा) तथा खण्ड–4 (राजस्व एवं पूंजी लेखे की प्राप्तियां) में दर्शाये गये लेखा-शीर्षक के स्तरों के अनुरूप विभागीय अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।
2. जिन जमा धनराशियों के लिये विज्ञापन द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रसारित लेखाशीर्षक विशेष में धनराशि जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है, तो ऐसी दशा में चालान फार्म के लेखा-शीर्षक को सत्यापित करना आवश्यक नहीं होगा।
3. यदि जमा की जाने वाली धनराशि में पैसे का कोई अंश है तो 50 पैसे से कम की धनराशि को छोड़ दिया जायेगा एवं 50 पैसे और उससे अधिक की धनराशि को अगले उच्चतर रुपये पर पूर्णांकित कर धनराशि जमा की जायेगी।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 06 कोषागार–8–10–03–(1290)– ... –(आफसेट)।

Verified that Rs (10938,600=00)
(Rupees One crore nine lac thirty eight Thousand six hundred only) deposited
under head 0030 stamp ... challan
No. G13c201-dt 21/06/05 in favour
of Supreme Real Estate Dev. PVT. LTD.

Treasury Officer
Collectorate Lko.
22/06/05

STATE BANK

17171 5871/05

50 Rs.

पचास रुपये

सत्यमेव जयते

भारत

INDIA

५०रु. 50RS

FIFTY RUPEES

In pursuance of the order of the collector
No.- 613 - - - - - - -dated 22-6-05 - -
passed under section 10-A of the stamp act it is certified that an amount of Rs.(10938600=00) - - - -
in-words रु० एक करोड़ नौ लाख अड़तीस हजार छः सौ मात्र
- - - - - - - - - - - - - - - - -has been paid in cash as stamp duty in respect of this instrument in the sub treasury /State Bank of India Lucknow by challan No.-013001 - - - - - - - - - - -dated 21-6-05 - - - - -
a copy of which is annexed herewith.

Dated. 22-6-05

22/6/05
Treasury Officer
मुख्य कोषाधिकारी
Lko. लखनऊ

Singh
Singh

विक्रय विलेख

यह विलेख लखनऊ विकास प्राधिकरण जो कि राष्ट्रपति अधिनियम 11 सन् 1973 पुर्नविधायन, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या

For Supreme Real Estate Developers Pvt. Ltd.

Singh
Director

प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

(35)

आदर्श कोषागार, लखनऊ

दिनांक 21-06-2005

मूल्य 50/- कागज स्टाम्प

नाम प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति क. वि. प्रा.

द्वारा सुप्रीम रियल स्टेट डेवलपर्स प्रा. लि. मुम्बई

कोषाधिकारी मुख्य कोषाधिकारी

(2)

30 सन् 1974 की धारा-4 के अधीन गठित एक निकाय है, के श्री जे0बी0 सिहं, प्रभारी अधिकारी, सम्पत्ति, लखनऊ विकास प्राधिकरण विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के माध्यम से (जिसे इस विलेख में आगे विक्रेता कहकर सम्बोधित किया गया है, जिसका अर्थ जब तक कि उसके विपरीत भाव में प्रयुक्त न किया गया हो विक्रेता उसके प्रशासकों, अधिशासकों, विधिक प्रतिनिधियों, समनुदेशितों से लिया जायेगा) प्रथम प्रक्ष

के द्वारा

मेसर्स सुप्रीम रियल स्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, निदेशक, श्री राजकुमार सिहं उम्र लगभग 39 वर्ष पुत्र स्व0 श्री श्याम नारायण सिहं निवासी ठाकुर हाऊस, अशोक नगर, कॉदीवली, पूर्व, मुम्बई, 400 101 जिसे कि इस विलेख में क्रेता कहकर सम्बोधित किया गया है, जिसका अर्थ जब तक कि उसे विपरीत भाव में प्रयुक्त न किया गया हो क्रेता स्वयं उसके उत्तराधिकारियों विधिक प्रतिनिधियों एवं समनुदेशितों से लिया जायेगा, द्वितीय पक्ष के हित में निष्पादित किया गया।

.....3

प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

For Supreme Real Estate Developers Pvt. Ltd.

कोषागार,

32808

To Supreme

M/s Real Estate developers Pvt Ltd

पुरक लेखापाल

(3)

चूँकि जनहित में भूमि अभ्यर्पित करके उसे विक्रेता द्वारा विकसित किया गया है तथा क्रेता के आवेदन पत्र के फलस्वरूप नीलामी द्वारा दिनांक 28.12.2004 को रूपया 10,10,14,249.00 प्रीमियम मूल्य के प्रति फलस्वरूप गोमती नगर योजना के विभूति खण्ड में व्यवसायिक (मल्टीप्लैक्स/शापिंग) भूखण्ड संख्या-टी0सी0-47-48 क्षेत्रफल 13,067.82 वर्गमीटर संलग्न लीज प्लान के अनुसार 90 वर्ष की अवधि के लिये क्रेता के पक्ष में ....रूपया प्रतिवर्ष लीजरेन्ट पर आवंटित किया गया था। चूँकि शासनादेश संख्या 1639/9-आ-1-95-80मिस/86 आवास अनुभाग-1 दिनांक 10.5.1995 द्वारा भूमि के मूल्य की 12 प्रतिशत धनराशि फ्रीहोल्ड शुल्क के रूप में लेकर उसे फ्रीहोल्ड भूमि के रूप में हस्तान्तरित करने हेतु प्राविधान किया गया है।

.....4

For Supreme Real Estate Developers Pvt. Ltd.

Director

…कोषागार, …

10 22 बिर्ती

M/s Supreme Real Estate developers Pvt. Ltd

पूरा जेनंदिप

10 Rs.

(4)

तद्नुसार केता द्वारा उक्त धनराशि रूपया 1,21,21,710.00 (शब्दों में रूपया) एक करोड़ इक्कीस लाख इक्कीस हजार सात सौ दस मात्र तथा नियम एवं शर्तों के अनुसार नीलामी क्षेत्रफल के 75 प्रतिशत मूल्य पर 45 दिनों के अन्दर पूर्ण धनराशि जमा करने के कारण 5 प्रतिशत की छूट रूपया 37,53,881.00 दी गई जिसके फलस्वरूप प्रीमियम की धनराशि रूपया 9,72,60,368.00 (शब्दों में रूपया) नो करोड़ बहत्तर लाख साठ हजार तीन सौ अड़सठ केवल लखनऊ विकास प्राधिकरण कोष में जमा कर दी गयी है जिसकी पावती विक्रेता इस विलेख के माध्यम से स्वीकार करता है।

अत: यह विलेख निम्न प्रकार से सन्दर्भित करता है:-

1. यह कि केता से उपरोक्तानुसार समस्त मूल्य रूपया 10,93,82,078.00 प्राप्त करने के पश्चात् विक्रेता द्वारा व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-टी0सी0-47-48 क्षेत्रफल 13,067.82 वर्गमीटर स्थित विभूति खण्ड, गोमती नगर योजना। जिसका विस्तृत विवरण अन्त में

.....5

For Supreme Real Estate Developers Pvt. Ltd.

Director

प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

[illegible] कोषागार, [illegible]

दिनांक 10.2.2008

मूल्य [illegible]

M/s Supreme Real Estate Developers Pvt.

[illegible]

[illegible]

दिया गया है को फ्रीहोल्ड भूमि के रूप में क्रेता के पक्ष में विक्रय करते हुए सदैव के लिये हस्तान्तरित कर दिया गया है एवं पूर्णस्वामित्वाधिकार इस विलेख के माध्यम से क्रेता में सन्निहित कर दिये गय हैं कि वह नियमानुसार भूमि का उपयोग एवं उपभोग करे।

2. यह कि विक्रीत व्यवसायिक भूखण्ड का कब्जा इस विलेख के माध्यम से क्रेता को सौंप दिया गया है।

3. यह कि भूमि सम्बन्धी अधिकारी भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त किये जाते हैं एवं व्यवसायिक भूखण्ड आवंटित करने के समय चूँकि विक्रेता विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के द्वारा दिये गये अभिनिर्णय (एवार्ड) के आधार पर ही प्रश्नगत व्यवसायिक भूखण्ड का प्रीमियम मूल्य एवं तद्नुसार फ्रीहोल्ड शुल्क निर्धारित किया गया है परन्तु यदि भविष्य में न्यायालय द्वारा किसान को देय प्रतिकर, तोषण (सोलेशियम) एवं इस मद में ब्याज की वृद्धि के आदेश किये जाये तो

.....6

[illegible] कोषागार, लखनऊ

विक्रेता [illegible] 8-2-600

मूल्य [illegible]

[illegible] M/s Supreme Real Estate Developers Pvt

[illegible]

[illegible] [illegible]   मुख्य कोषाधिकारी

10 Rs.

दस रुपये

सत्यमेव जयते

भारत

INDIA

१०रु. TEN RUPEES 10RS

क्रेता इस हेतु सहमत होता है एवं प्रसंविदा करता है कि उपरोक्त प्रकार के किसी आकस्मिक कारण से हुई वृद्धि की जिम्मेदारी क्रेता द्वारा धारित व्यवसायिक भूखण्ड क्षेत्रफल भूविन्यास योजना के सम्पूर्ण क्षेत्रफल के अनुपात में क्रेता पर स्वतः स्थानान्तरित हो जायेगी एवं क्रेता तद्नुसार हुई वृद्धि पर लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निमयानुसार दिये गये मॉग पत्र की सूचना प्राप्ति के तीन महीन के अन्दर क्रेता द्वारा अदायगी कर दी जायेगी इसमें असफल रहने पर यह राशि भूराजस्व के बकाये के रूप में वसूल की जायेगी।

4. यह कि क्रेता उक्त परिसर अथवा निर्मित स्थल के पूर्ण या किसी भू-भाग या हिस्से को व्यवसायिक उपयोग के अतिरिक्त सार्वजनिक रूप से धार्मिक स्थल अथवा किसी ऐसे उपयोग में नहीं लायेगा जिससे

.....7

For Supreme Real Estate Developers Pvt. Ltd.

Director

प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

आदर्श कोषागार, लखनऊ

29615

दिनांक

मूल्य 10 स्टाम्प

नाम M/s Supreme Real Estate developers Pvt Ltd

द्वारा

उप कोषाधिकारी   मुद्रा कोषाधिकारी

10 Rs.

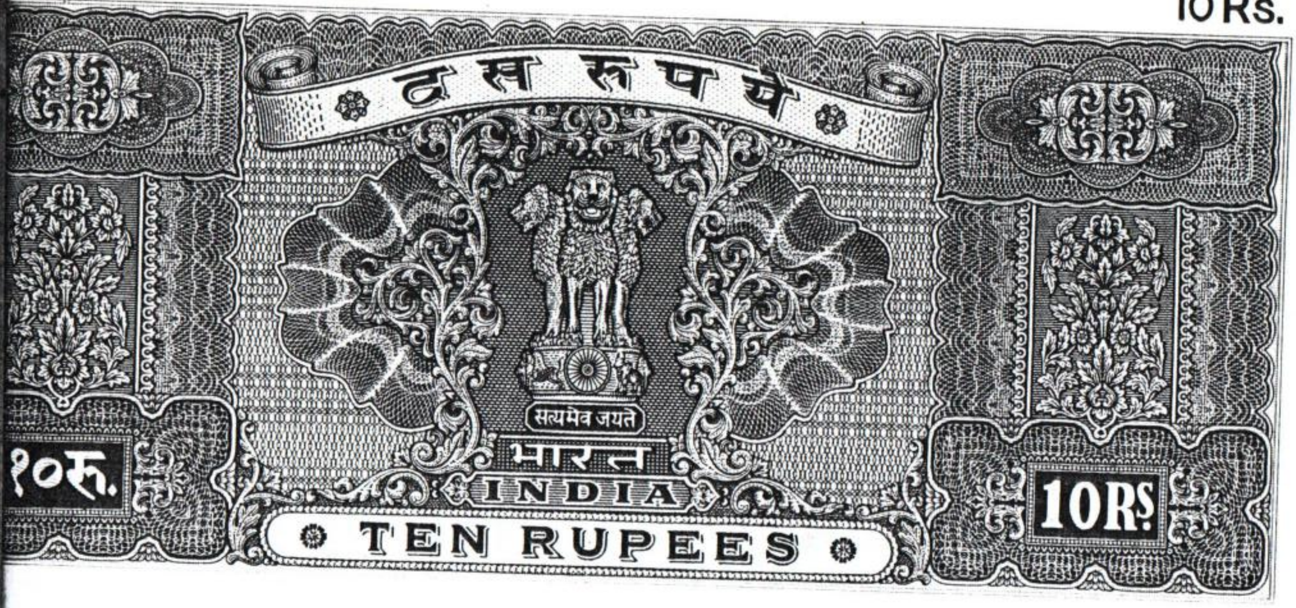

किसी प्रकार की कोई अशान्ति उत्पन्न होती हो अथवा पास पड़ोस में भूखण्ड/भवन धारक को बाधा या क्षति पहुँचाती हो। क्रेता लखनऊ महायोजना में निर्धारित भू उपयोग से अन्यथा प्रयोग नहीं करेगा और न करने की अनुमति देगा इसका उल्लंघन करने पर विधि अनुसार लगाये गये दण्ड का क्रेता भागी होगा।

5. यह कि यदि क्रेता के द्वारा भूखण्ड अथवा भवन दोनों से सम्बन्धित अधिकारों का अन्तरण किये जाने की दशा में इस विलेख में अंकित समस्त नियम व उपनियम तदैव प्रथम अन्तरिती द्वितीय अन्तरिती एवं लगातार प्रत्येक अन्तरिती पर यथावत लागू रहेंगी तथा क्रेता द्वारा किये गये इस प्रसंविदा को वे सभी मानने के लिये बाध्य होंगे।

6. यह कि यदि किसी भी समय उक्त व्यवसायिक भूखण्ड सम्बन्धी किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की सहमति से विवाद हेतु एक मध्यस्थ की नियुक्ति की जा

.....8

For Supreme Real Estate Developers Pvt. Ltd.

Director

प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

1862608

M/s Supreme Real Estate Developers Pvt. Ltd.

10 Rs.

(8)

सकेगी जो कि विवाद सन्दर्भित होने के पश्चात् दोनों पक्षकारों की सुनवाई करके अपना निर्णय देगा। किसी भी स्थिति में विवाद का स्थानीय क्षेत्राधिकारी केवल लखनऊ स्थित न्यायालय को ही प्राप्त होगा।

7. यह कि 12 प्रतिशत फ्रीहोल्ड शुल्क सन्निहित करते हुए भूमि का मूल्यांकन रूपया 10,93,82,078.00 है जिस पर नियमानुसार स्टैम्प शुल्क की अदायगी केता के द्वारा दी गई है।

8. यह कि केता समय-समय पर लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड एवं शासनादेश द्वारा जारी किये गये नियमों, विनियमों एवं प्राविधानों का पालन करता रहेगा। प्रमाण के रूप में इस विक्रय विलेख पर विक्रेता के लिये एवं उसकी तरफ से प्राधिकृत अधिकारी तथा केता ने स्वयं अपने स्वस्थचित्त होकर इस विकेता विलेख श्पर अपने हस्ताक्षर बनाये तथा विक्रेता की सील भी साक्षियों की उपस्थिति में लगायी गयी।

उपरिसंदर्भित विक्रीत व्यवसायिक भूखण्ड का विवरण

.....9

For Supreme Real Estate Developers Pvt. Ltd.

Director

10 2 2 605
M/s Supreme Real Estate developers Pvt. Ltd.

Rs. 109382078/-

विक्रय पत्र

~~09,382,078.00/~~		5,000.00	40	5,040.00	2,000
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री / श्रीमती मेसर्स सुप्रीम रियल स्टेट ड़े.प्रा.लि द्रा.नि.राजकुमार सिंह

पुत्र / पत्नी श्री स्व. श्याम नारायण सिंह

पेशा व्यापार निवासी स्थायी ठाकुर हाऊस अशोक नगर कांदीवली पूर्व मुम्बई

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 22/6/2005 समय 6:25PM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

22/6/05

उप निबन्धक (द्वितीय)
लखनऊ

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू प्रलेखानुसार उक्त

क्रेता

श्री/श्रीमती मेसर्स सुप्रीम रियल स्टेट ड़े.प्रा.लि
द्रा.नि.राजकुमार सिंह
पुत्र/पत्नी श्री स्व. श्याम नारायण सिंह
पेशा व्यापार
निवासी ठाकुर हाऊस अशोक नगर कांदीवली पूर्व मुम्बई

ने निष्पादन स्वीकार किया ।

इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि इस लेखपत्र का निष्पादन श्री ल.वि.प्रा.द्रारा जे.बी.सिंह प्र.अ.स.
ने अपने पद के अधिकार से किया है इसलिये उनकी उपस्थिति और हस्ताक्षरों
की आवश्यकता नहीं है, और लेखपत्र रजिस्टीकरण के लिए स्वीकार किया गया।

उप निबन्धक (द्वितीय)
लखनऊ
22/6/05

10 Rs.

(9)

भू विन्यास योजना व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-टी0सी0-47-48 कुल क्षेत्रफल 13,067.82 वर्गमीटर स्थित विभूति खण्ड, गोमती नगर योजना लखनऊ जिसकी पूर्वी भुजा की माप 86.44 मीटर, पश्चिमी 94.45 मीटर, उत्तरी 152.50 मीटर, दक्षिणी भुजा 134 मीटर है। चूँकि भूखण्ड की भुजाएँ डायगनल हैं इसलिए सम्पूर्ण एरिया लीज प्लान के अनुसार मान्य है जो कि साथ में संलग्न है। प्रश्नगत भूखण्ड की चौहद्दी निम्न प्रकार से है:-

....10

For Supreme Real Estate Developers Pvt. Ltd.

Director

प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति
लखनऊ ... प्राधिकरण, लखनऊ

M/s Supreme Real Estate developers Pvt

जिनकी पहचान श्री राजेन्द्र सिंह

पुत्र श्री स्व. सी.सिंह

पेशा नौकरी निवासी योजना सहायक एल.ड़ी ए,लखनऊ

व श्री अनिल विजयराज भंड़ारी

पुत्र श्री विजय राज भंड़ारी

पेशा व्यापार निवासी 503, रिजार्ट ठाकुर क्।. कांदीवली पूर्व मुम्बई

ने की ।

उप निबन्धक (द्वितीय)
लखनऊ

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

उप निबन्धक (द्वितीय)
लखनऊ

10 Rs.

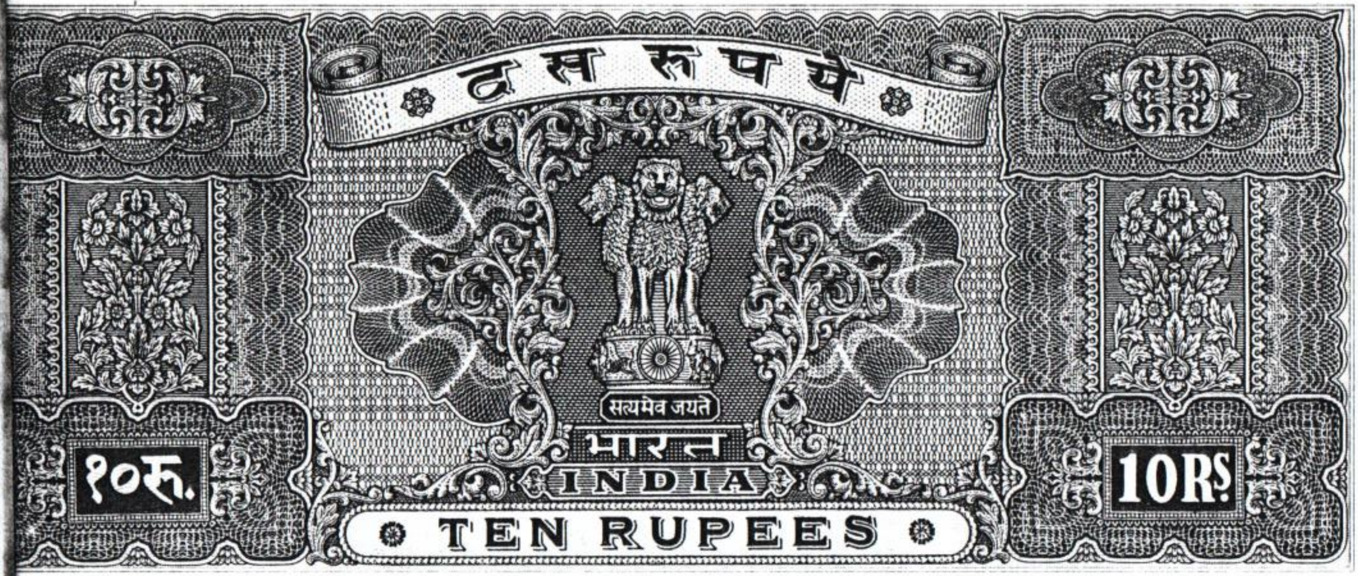

पूरब- सड़क पश्चिम..24 मी0 चौड़ी सड़क...........................

उत्तर.-76 मी0 चौड़ी सड़क .दक्षिण-..समाज कल्याण निगम एवं खाली भूखण्ड......

साक्षीगण:-

1. हस्ताक्षर.. विक्रेता

नाम-.अटल बिहारी तिवारी 22/6/05

पिता का नाम-.श्री जी0एल0 तिवारी.............................. प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

व्यवसाय.-नौकरी.........

निवास.-एल0डी0ए0, लखनऊ..

दिनांक..

2. हस्ताक्षर.. क्रेता

नाम.-अनिल विजयराज भण्डारी..

For Supreme Real Estate Developers Pvt. Ltd.

.....उम्र.39 वर्ष,

Director

पिता का नाम-श्री विजय राज भण्डारी

व्यवसाय..-व्यापार.

निवास-503, रिज़ार्ट व्यू, ठाकुर काम्पलेक्स, कॉदीवली पूर्व, मुम्बई

दिनांक 22/6/05...................................

योजना सहायक

M/S Supreme Real Estate developers Pvt Ltd

विक्रेता

Registration No 5871 Year : 2005 Book No. 1

0101 **ल.वि.प्रा.द्वारा जे.बी.सिंह प्र.अ.स.**

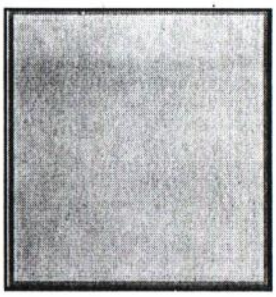

एल.ड़ी. ए.लखनऊ

नौकरी

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY

...AN OF BULK SALE POCKET OF VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR

PLOT NO- TC - 47 & 48

...ASED TO- सुप्रिम रियल स्टेट डेवलपर्स प्रा. लि०

BOUNDARY

NORTH - 78.0 M ROAD

...of Plot :- 13067.82 Sqm

SOUTH - LAND Samaj Kalyan Vibhag and Vacant Plot

...$+A_3)=$

East - ROAD

WEST - 24.0 M ROAD

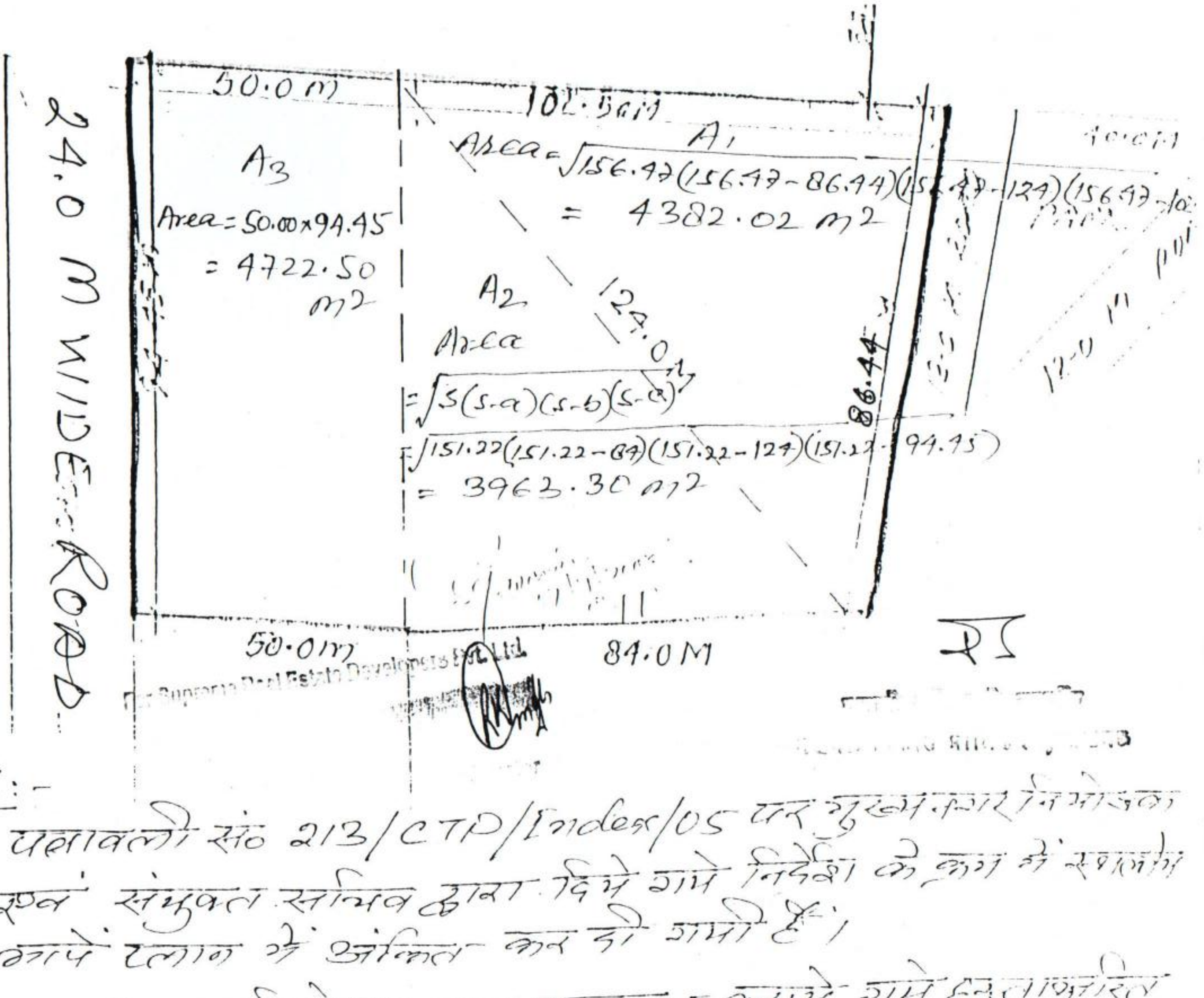

...E :-

1) पत्रावली सं० 213/CTP/Index/05 पर मुख्य नगर नियोजक एवं संयुक्त सचिव द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में स्थलीय नाप प्लान में अंकित कर दी गयी है।

2) मुख्य नगर नियोजक द्वारा उपलब्ध कराये गये हस्ताक्षरित प्लान दिनांक 7-4-05 के अनुसार प्लान तैयार किया गया है जिसका स्थल पे जाइट में अंकन आवश्यक है।

11/4/05

11/4/05

11/4/05

E.E.-3

क्रेता

Registration No. 5871 Year : 2005 Book No. 1

0201 **मेसर्स सुप्रीम रियल स्टेट ड़े.प्रा.लि द्रा.नि.राजकुमार सिंह**

स्व. श्याम नारायण सिंह

ठाकुर हाऊस अशोक नगर कांदीवली पूर्व मुम्बई

व्यापार

रजिस्ट्रेशन अधि0 1908 की धारा-32 ए0 के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्टस

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता नाम व पता:- जे.बी. सिंह - प्रभारी अधि० (संप०) L.D.A

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह:-

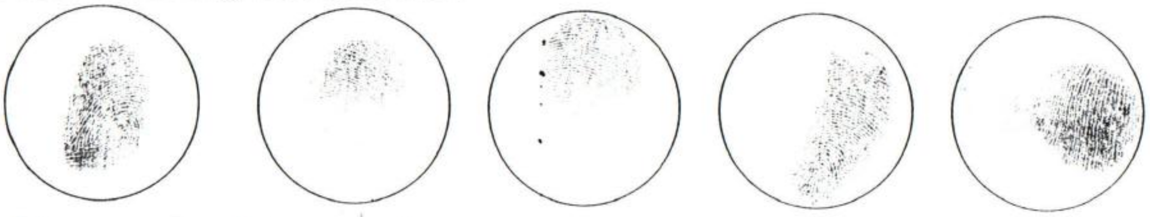

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह:-

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

~~विक्रेता~~/क्रेता नाम व पता :- Supreme Real Estate Developers Pvt. Ltd.

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह:-

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह:-

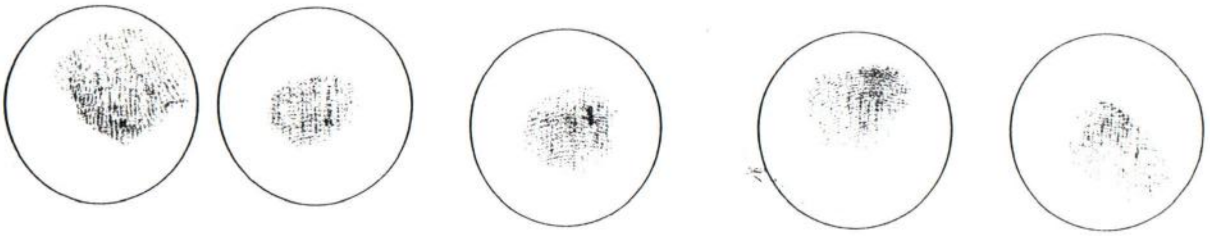

~~विक्रेता~~/क्रेता के हस्ताक्षर

For Supreme Real Estate Developers Pvt. Ltd.

Director

आज दिनांक **22/06/2005** को

वही सं **1** जिल्द सं **5131**

पृष्ठ सं. **49** से **72** पर कमांक **5871**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

उप निबन्धक (द्वितीय)
लखनऊ